

कार्यालय आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार द्वारा जापांक - जी /आपदा-06 -02/ 2020 -2835, पटना, दिनांक 04 मई 2021 के माध्यम से कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, कुछ अपवादों को छोड़ कर, को दिनांक 05/05/2021 से 15/05/2021 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

2. तदनुसार रेरा कार्यालय, बिहार से पूर्व में निर्गत आदेश स. 24 दिनांक 01/05/2021 में आंशिक संशोधन करते हुए रेरा कार्यालय, बिहार को दिनांक 05/05/2021 से 15/05/2021 तक बंद किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

ह.

सचिव

जापांक: RERA/Misc order-135/2020/147, पटना दिनांक: 04/05/2021

प्रतिलिपि: IT Manager, रेरा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ह.

सचिव